रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122020-223845 CG-DL-E-21122020-223845

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4071]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 21, 2020/अग्रहायण 30, 1942

No. 4071]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 21, 2020/AGRAHAYANA 30, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2020

सं. 46 / 2015-2020

विषय : आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 12 और 15 के तहत कोपरा और नारियल तेल के आयात हेतु एसटीई के रुप में एसटीसी को अधिसूचना से हटाने हेतु आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 4634(अ).—समय—समय पर यथा—संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015—20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित एक्जिम कोड की नीतिगत शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करती है।

एक्जिम कोड	मद विवरण	नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
1203 00 00	कोपरा	राज्य व्यापार उद्यम	विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.20 के अधीन एसटीसी के माध्यम से आयात अनुमत है।	विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.20 के अधीन एमएमटीसी के माध्यम से आयात अनुमत है।
1513 11 00	नारियल (कोपरा) तेल और उसके अंश:— कच्चा तेल	राज्य व्यापार उद्यम	विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.20 के अधीन एसटीसी के माध्यम से आयात अनुमत है।	विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.20 के अधीन एसटीई को छोडकर, एसटीई के माध्यम से आयात अनुमत है।

6248 GI/2020 (1)

1513 19 00	नारियल (कोपरा) तेल और उसके अंश:–	व्यापार	विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.20 के अधीन एसटीसी के माध्यम से आयात अनुमत है।	विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.20 के अधीन एसटीई को छोडकर, एसटीई के माध्यम से आयात
			· ·	अनुमत है।

2. इस अधिसूचना का प्रभावः

एचएस कोड 1203 00 00 के तहत कोपरा का आयात एमएमटीसी के माध्यम से अनुमत किया जाता है; जबिक एचएस कोड 1513 11 00 (कच्चा तेल) और 1513 19 00 (अन्य) के तहत नारियल तेल का आयात एसटीसी को छोडकर एसटीई के माध्यम से अनुमत किया जाता है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01 / 89 / 180 / 36 / एएम 14 / पीसी-2(क) / ई-2273]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना संख्या 36 / 2015—2020 दिनांक 17 जनवरी, 2017 को का.आ. संख्या 172(अ), दिनांक 17 जनवरी, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2020

No. 46/2015-2020

Subject : Amendment in Import Policy Condition for de – notifying STC as an STE for import of Copra and Coconut Oil under Chapter 12 and 15 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy).

S.O. 4634(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government, hereby amends the policy conditions of the following Exim Codes as under:

Exim Code	Item Description	Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Conditions
1203 00 00	Copra	State Trading Enterprise	Import allowed through STC subject to Para 2.20 of Foreign Trade Policy.	Import allowed through MMTC subject to Para 2.20 of Foreign Trade Policy.
1513 11 00	Coconut (copra) oil and its fractions: Crude oil	State Trading Enterprise	1 1	Import allowed through STE, except STC, subject to Para 2.20 of Foreign Trade Policy.
1513 19 00	Coconut (copra) oil and its fractions:	State Trading Enterprise	Import allowed through STE subject to Para 2.20 of Foreign Trade Policy	Import allowed through STE, except STC subject to Para 2.20 of Foreign Trade Policy.

Effect of this Notification: Import of Copra under HS Code 1203 00 00 is allowed through MMTC; while import of Coconut oil- under HS codes 1513 11 00 (Crude) and 1513 19 00 (Others) is allowed through STEs, except STC.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/36/AM-14/PC-2[A] /e-2273] AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & ex-officio Addl. Secy

Note : The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017.